संख्या:27/2022/1392429/12-2099/112/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
6. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग- 2 लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल, 2022

विषयः कृषि उत्पादन संगठन(एफ0पी0ओ0) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकसित एफ0 पी0ओ0 पोर्टल शक्ति के प्रभावी उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

आप अवगत ही हैं कि केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार कृषि सेक्टर के सतत विकास एवं कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन संगठनों को विकसित करने व प्रोत्साहित करने की रणनीति पर कार्य कर रही है। इसी रणनीति के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा एक बहुउद्देशीय पोर्टल (एफ0पी0ओ0) विकसित किया गया है। एफ0पी0ओ0 पोर्टल शक्ति पर विभिन्न संगठन पंजीकृत करके अपने उत्पाद के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे उनके कृषि उत्पाद को बेहतर बाजार मिल सके। इस पोर्टल के माध्यम से कृषि उत्पादन संगठनों को अपने कार्यों में आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराने की भी व्यवस्था दी गई है, जिसका निराकरण जिला स्तर तथा विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाना है। इस हेतु विभागाध्यक्ष तथा जनपद स्तर पर पृथक-पृथक यूजर नेम और पासवर्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।

एफ0पी0ओ0 पोर्टल शक्ति को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया हैः-

<u>एफ0पी0ओ0 का मास्टर डेटाबेस:</u>

1. प्रदेश में गठित एफ0पी0ओ0 को इस पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों की संख्या, उनका विवरण, उपलब्ध भूमि व कृषि उत्पाद का विवरण उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार पोर्टल में एफ0पी0ओ0 का मास्टर डाटाबेस तैयार किया जाएगा जो सक्रिय है।

2. जिस प्रकार पारदर्शी किसान पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु विभाग के कृषक डाटाबेस उपयोग में लाया जाता है, उसी प्रकार कृषि उत्पादक संगठनों को विभिन्न प्रकार के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाभ लेने के उद्देश्य से एफ0पी0ओ0 के सत्यापन करने तथा उनको योजनाओं के लाभ हेतु पात्र होने के लिए एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संगठनों के डाटाबेस का भविष्य में उपयोग में लाया जाएगा। इस हेतु निदेशालय स्तर पर समस्त आवश्यक व्यवस्था/पोर्टल में संशोधन किया जायेगा।

<u>एफ0पी0ओ0 की समस्याओं का निराकरण:</u>

3. कृषि उत्पादक संगठन द्वारा अपने कार्यों के दौरान किसी प्रकार की समस्या आने अथवा कृषि विकास की योजनाओं में प्रतिभाग करने में अड़चन आने पर अपने खाते में लॉग-इन कर समस्याओं का उल्लेख करेंगे, जिसको सीधे जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा उस समस्या का निराकरण जिला स्तर पर सुनिश्चित कराते हुए कार्यवाही की जाएगी। अगर समस्या का निराकरण जनपद स्तर पर नहीं किया जा सकता तो उसे मुख्यालय एफ0पी0ओ0 सेल पर प्रेषित किया जाएगा। एफ0पी0ओ0 सेल के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा उस सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष को ऑन-लाईन प्रेषित किया जाएगा। समस्याओं का निराकरण करने के पश्चात उसका उत्तर एफ0पी0ओ0 को ऑन-लाईन माध्यम से अथवा विभाग या जनपद स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा और इसका अनुश्रवण भी एफ0पी0ओ0 सेल के माध्यम से किया जाएगा।

सभी उप कृषि निदेशक व ए0पी0सी0 शाखा से जुड़े विभाग लम्बित शिकायतों और उनके निराकरण की समीक्षा करते रहेंगे। इसकी प्रगति को कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष भी निरन्तर उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

4. जिला स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि कृषक उत्पादन संगठनों की समस्याओं के निराकरण तथा कन्वर्जेंस हेतु प्रत्येक माह इसकी बैठक कराई जाए। इस समिति के सदस्य-सचिव उप कृषि निदेशक हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि यह बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह की जाए। इसमें विभागीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए और बैठक का कार्यवृत्त एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाए। नियमित बैठक किए जाने की समीक्षा मुख्यालय व शासन स्तर से की जाती रहेगी।

<u>कृषि उत्पादन संगठनों की परफॉरमेंस ग्रेडिंग:</u>

5. कृषि विभाग के माध्यम से कृषक उत्पादन संगठनों को ग्रेड करने की एक व्यवस्था विकसित की जा रही है। उपरोक्त के आधार पर एफ0पी0ओ0 सेल द्वारा प्रत्येक एफ0पी0ओ0 की वार्षिक रूप से ग्रेडिंग की जाएगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि कौन सा एफ0पी0ओ0 ज्यादा सक्रिय है और कौन सा निष्क्रिय। इस व्यवस्था से कृषक उत्पादन संगठनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी एवं क्रियाशील होने की तरफ प्रोत्साहित होंगे।

यह अपेक्षा है कि सम्बन्धित विभाग व विभागीय अधिकारी उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे जिससे कि एफ0पी0ओ0 को सक्रिय बनाने में पोर्टल एक प्रभावी भूमिका निभा सके।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:27/2022/1392429(1)/12-2099/112/2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, स्मॉल फारमर्स एग्री-बिजनेस कन्सॉटियम (एस0एफ0ए0सी0)।
3. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, नेशनल कॉपरेटिव डेवलॅपमेन्ट कॉरपोरेशन (एन0सी0डी0सी0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वयक, यूपीडास्प, लखनऊ।
6. शाखा प्रबंधक/स्टेट हैड, नैफेड, लखनऊ।
7. प्रभारी, एफ.पी.ओ. सेल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।